भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4869

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री आशा योजना

4869. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना किस हद तक खरीद में सहायता करती है;

(ग) क्या यह सच है कि कृषि खरीद प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पीएम-आशा के अन्तर्गत प्रस्तावित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें मजबूरीवश बिक्री का सहारा न लेना पड़े। ऑनलाइन पंजीकरण, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से किसानों को समय पर भुगतान का प्रावधान तथा इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का सक्रिय सहयोग सुचारू और पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन/खरीद प्रचालन सुनिश्चित करता है ।

(ग) और (घ): जी, हां। पीएम-आशा की छत्रक स्कीम के तहत अधिसूचित तिलहनों का मूल्य एमएसपी से कम होने पर निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) की पायलट योजना के माध्यम से चयनित जिलों/जिले की एपीएमसी में इन उत्पादों की खरीद के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पैनलबद्ध निजी एजेंसियों द्वारा मंडी हस्तक्षेप का प्रावधान है। इसके पीछे कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन अधिशेष है लेकिन प्रभावी मांग नहीं है उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करके किसान कल्याण करना है। ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा खरीद प्रचालनों से मांग सृजित होगी तथा भांडागारों एवं प्रसंस्करण मिलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ सकारात्मक रूप से मंडी के प्रभावित होने की संभावना है।

(ड.): पीएम-आशा की छत्रक योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस), निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट प्रायोगिक योजना (पीपीएसएस) तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और वस्त्र मंत्रालय की मौजूदा योजनाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत, सरकारी एजेंसियां एमएसपी से कम मूल्य होने पर तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर किसानों से एमएसपी पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के उत्पाद की खरीद करती हैं। किसानों को भुगतान रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एवं खरीद एजेंसी द्वारा खाते में देय चेक के माध्यम से उनके उत्पाद की खरीद के तीन दिनों के भीतर किया जाता है। तिलहनों के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) को कार्यान्वित करने का विकल्प होता है, जहां किसानों को अधिसूचित मंडियों में एमएसपी/मॉडल मूल्य और वास्तविक विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधे भुगतान किया जाता है तथा सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वास्तविक खरीद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तथापि, यदि किसान एमएसपी की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं, तो वे खुली मंडी में अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****